

संख्या- 34 /2025/1564/छिह्नतर-1-2025-1739613

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 17 जून, 2025

विषय-जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। फेज-1 के जनपदों यथा- महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, मीरजापुर एवं सोनभद्र में अधिकांश ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं अथवा शीघ्र ही पूर्ण होने की स्थिति में हैं। अतः योजनाओं को पूर्ण कराते हुए उन्हें संचालन एवं अनुरक्षण में लाये जाने तथा उन्हें हर घर जल प्रमाणित कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2- जो ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण में ली जा रही हैं, उनके अनुश्रवण हेतु विकसित पोर्टल <https://jjm.up.gov.in/site/home> jjm.up.gov.in पर प्रदेश के समस्त जनपदों के डिस्ट्रिक डैस बोर्ड (Table-1-URL: <https://jjm.up.gov.in/dashboard>) पर सभी ग्रामों में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति तथा संचालन एवं अनुरक्षण का स्टेटस रियल टाइम में देखा जा सकता है। उक्त पोर्टल पर जल जीवन मिशन की योजनाओं का विवरण अलग से प्रदर्शित है तथा जल विगम की अनुरक्षणाधीन योजनाओं का विवरण भी है। सभी जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त से अनुरोध है कि स्वयं इस डैशबोर्ड को खोलकर देखने का कष्ट करें और नियमित रूप से इसका अनुश्रवण करते रहे तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अथवा जल जीवन मिशन से संबंधित अन्य बैठकों में इसी डैशबोर्ड के आधार पर समीक्षा करें।

3- तत्प्रयोजनार्थ हर ओवर हेड टैंक पर सेंसर, फलोमीटर इत्यादि लगाकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि उस ओवर हेड टैंक से लिये गये जल की मात्रा व गुणवत्ता रियल टाइम में

उपलब्ध हो। कृपया विशेष रुचि लेकर यह कार्यवाही सभी ओवर हेड टैक्सों पर प्राथमिकता पर करायी जाय। जिलाधिकारीगण कृपया डिस्ट्रिक्ट डैस बोर्ड के सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव हों तो तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- जल जीवन मिशन से पूर्व निर्मित योजनाएं (जिनमें से कुछ पंचायती राज विभाग को हस्तानान्तरित की गई थी), उन सभी का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अनुरक्षण में ली गई उक्त योजनाओं को तीन श्रेणी यथा- Fully Functional, Partially Functional एवं Defunct श्रेणी में विभक्त किया गया है।

उक्त सभी योजनाओं के वियुत देयकों का भुगतान कर दिया गया है। Fully functional श्रेणी की योजनाओं के गांवों में निरन्तर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। Partially Functional श्रेणी के गांवों में अधिक से अधिक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। Partially Functional श्रेणी एवं Defunct श्रेणी के गांवों में पूर्ण जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु टाइम लाइन निर्धारित की गई है। पोर्टल पर प्रदर्शित Defunct श्रेणी के गांवों हेतु निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार डी.पी.आर. तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारीगण कृपया इन योजनाओं के सम्बन्ध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध करा सकते हैं।

5- ग्राम स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय करते हुए उनका विवरण पोर्टल <https://jjm.up.gov.in/site/home> jjm.up.gov.in पर समस्त जनपदों के डिस्ट्रिक्ट डैस बोर्ड (Table-1-URL: [https://jjm.up.gov.in /dashboard](https://jjm.up.gov.in/dashboard)) पर अपलोड कर दिया गया है। कृपया ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों के सम्बन्ध में कोई सुझाव हो तो तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करा सकते हैं।

6- उक्त के अतिरिक्त यद्यपि कि प्रदेश के सभी गांवों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लिये जाने के सम्बन्ध में कई बार प्रमाणित किया जा चुका है, फिर भी यदि अभी भी कोई गांव छूट गया है तो उसे ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की संस्तुति के साथ जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

7- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों/ नोडल अधिकारियों द्वारा कुल 147 गांवों का भ्रमण करते हुए योजनाओं का

-3-

निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आप लोगों के निर्देशन में योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छा कार्य किया जा रहा है। नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये 147 गांवों की निरीक्षण रिपोर्ट में जो कतिपय कमियां पायी गयी हैं, उनको यथाशीघ्र ठीक कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 17-06-2025
(अनुराग सिंह श्रीवास्तव)
18:28:03
प्रमुख सचिव

संख्या- 34/2025/1564 (1)/छिह्तर-1-2025-1739613, तद्विनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, मार्ग जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- (6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- (7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)
- (8) समस्त अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, उत्तर प्रदेश।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
OM PRAKASH CHAUHAN
Date: 17-06-2025
(ओम प्रकाश चौहान)
18:34:08
उप संचिव।